

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन / मूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत मधेश के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

फ्लैट खिड़की केवल आवासीय प्रयोजनार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 702 दिनांक 09/09/2020

प्राथी गिरधारी लाल चेलानी S/O श्री युहड़मल

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No: 16 सेक्टर श्री कमला

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश नेशनल नगर द्वितीय विस्तार

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12500/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/4642, 4643


दिनांक 09/09/2020 को जमा करा दी है ।

909/10/9/2020

सहायक नगर नियोजक

नगर निगम, जोधपुर

प्री +1.
आवासीय


5/09/20
8584440000